

2022/344

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिराकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी लवप्रीत सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 17 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूल रसीद, वारिसान हेतु शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे दादा अमर सिंह पुत्र ईशर सिंह उर्फ ईश्वर सिंह जाति जटसिख निवासी 17 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 25.08.2021 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 24.11.2022 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान गुरजीत सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह एवं किशनराम पुत्र करना राम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री बलदेव सिंह रंधावा श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर रिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय


